न्यायालय तहसीलदार, तहसील मिचौलीहप्पी जिला इन्दौर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक 629/अ-6/2020-21

श्री अरूण पिता श्रीकृष्ण अग्रवाल
निवासी 9-12-ए, दिलपंसद कोठी, डॉ. रोशनसिंह भण्डारी मार्ग, इंदौर म.प्र.

आवेदक

विरूद्ध
ओयस्टर बिल्डिंग इंडिया प्रा.लि.
तर्फे डायरेक्टर-- श्री विनित अग्रवाल पिता श्री श्रीकृष्णजी अग्रवाल
पता 201, स्टारलिट टॉवर, 29, व्हाय.एन.रोड, इंदौर म.प्र.

अनावेदक

// आदेश //
(दिनांक : 23/02/21 को)
(भू-राजस्व संहिता की धारा 109, 110 के तहत पारित)

प्रकरण का विवरण इस प्रकार है, कि आवेदक श्री अरूण पिता श्रीकृष्ण अग्रवाल निवासी 9-12-ए, दिलपंसद कोठी, डॉ. रोश्नसिंह भण्डारी मार्ग, इंदौर म.प्र. द्वारा म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 109-110 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र क्रमांक **MP179092020A1875952** दिनांक 24/12/2020 के आधार पर ग्राम- बिहाडिया स्थित भूमि सर्वे कमांक 79/1, 80, 79/2, 81 पैकी, 82/1/1 कुल रकबा 8.361 हेक्टेयर पर विकसित कॉलोनी ग्रीन फील्ड टाउन मे स्थित भूखण्ड कमांक 80 रकबा 1464.04 वर्गफीट भूमि पर राजस्व रिकार्ड मे नांमातरण किये जाने का निवेदन प्रस्तुत किया। अतः राजस्व अभिलेखों में उक्त भूमि पर केता आवेदक का नाम दर्ज हो।

आवेदन पत्र के संबंध में सार्वजनिक उद्घोषणा जारी की गई नियत समयावधि में किसी भी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नही हुई।

प्रकरण में अनावेदक/विकेता द्वारा स्वयं का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया। राजस्व निरीक्षक द्वारा अपने प्रतिवेदन मे आवेदक की पुष्टि की तथा उल्लेखित किया है, कि आवेदित भूमि मिसल बंदोबस्त मे शासकीय मद मे दर्ज नही है। उक्त भूमि दश्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय द्वारा व्यपवर्तित है। अतः नामांतरण में कोई आपत्ति नही पाई जाती है।

अतः उपरोक्त आधार पर आवेदक श्री अरूण पिता श्रीकृष्ण अग्रवाल निवासी 9-12-ए, दिलपंसद कोठी, डॉ. रोश्नसिंह भण्डारी मार्ग, इंदौर म.प्र. का नाम म0प्र0भू0रा0संहिता 1959 की धारा 109-110 के अन्तर्गत ग्राम- बिहाडिया स्थित भूमि सर्वे कमांक 79/1, 80, 79/2, 81 पैकी, 82/1/1 कुल रकबा 8.361 हेक्टेंयर पर विकसित कॉलोनी ग्रीन फील्ड टाउन मे स्थित भूखण्ड कमांक 80 रकबा 1464.04 वर्गफीट भूमि पर परिवर्तित भू-राजस्व रूपये 102/- प्रतिवर्ष पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया जाता है। आवेदक वर्ष 2020-21 से बकाया भू-राजस्व जमा करें। पुनः निर्धारण संबंधी जो आदेश प्रकरण में पारित किया जायेगा वो इस प्रकरण में बंधन कारक होंगे। किसी न्यायालय में उक्त भूमि के संबंध में स्वत्व संबंधी कोई भी वाद/विवाद/स्थगन होने एवं मिसल बंदोबस्त वर्ष 1925-26 एवं 1958-59 मे उक्त भूमि शासकीय मद मे दर्ज होने पर यह आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा ।

प्रतिलिपि-

राजस्व निरीक्षक, ग्राम बिहाडिया तह. व जिला इंदौर की ओर भेजकर लेख है कि तदनुसार रिकार्ड मे अमल कर पालन प्रतिवेदन 3 दिवस में इस न्यायालय मे प्रस्तुत करे।

तहसीलदार
तहसील मिचौलीहप्पी इन्दौर